तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
19.1.2021	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीपक्ष वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी सं. 1 व 3/5 की ओर से वकील श्री रमेश कुमार सैन द्वारा वकालतनामा व एकबालिया जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं. आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. (5) बाजपेरोकार जवाब देना नहीं चाहते है अतः इनका जवाब बंद किया जाता है।
	प्रार्थीगण वकील द्वारा निवेदन किया कि मौजा देवपुरा के खसरा नम्बर 53,54 55,56 रकबा क्रमशः 0.01, 1.31, 1.06, 4.90 कुल रकबा 7.28 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या (1) बंटवारा करवाये बिना उक्त आराजी में प्रवेश नहीं करें व खसरा 1377 रकबा 1.58 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1376 रकबा 0.01 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में दखलंदाजी नहीं करें व नहीं करावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला प्रतिवादीगण के विरुद्ध फरमाई जावे। जिस पर प्रतिवादी वकील को सुना गया। प्रतिवादी वकील द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई व [illegible] किये गए [illegible] हमने पत्रावली [illegible] व अप्रार्थीगण [illegible] प्रार्थीगण [illegible] अन्तर्गत प्रकरण [illegible] गया। डिग्री का आदेश मूल वाद में प्रारंभिक है ऐसी स्थिति में विवादित आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मुकदमा नं. 14/2020

प्रतापा वि. सीता व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	के मौके व रेकर्ड कि स्थिती में परिवर्तन होता है तो प्रार्थीगण प्रभावित होंगे। अत: मौजा डेबपुरा तहसील रानीवाड़ा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 53, 54, 55, 56, 1376, 1377 रकबा 0.01, 1.31, 1.06, 4.90, .01, 1.58 हेक्टेयर जुमले रकबा 8.87 हेक्टेयर की आराजी में ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जाती है कि उभय पक्षकारान उक्त विवादित आराजी की मौके व रेकर्ड की स्थिती को यथावत बनाये रखेंगे। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को भेजी जावे। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner